University of Lucknow | Centennial Celebrations
लखनऊ विश्वविद्यालय | शताब्दी उत्सव

डॉ० विनोद कुमार सिंह
कुलसचिव

Dr. Vinod Kumar Singh
Registrar

लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ 226007 (उ.प्र.) भारत
University of Lucknow
Lucknow-226007 (U.P) INDIA

कार्यालय–आदेश

मा0 कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 25.6.2020 के अनुपालन में आवास आवंटन नियमावली तैयार किये जाने हेतु गठित समिति द्वारा प्रेषित निम्नलिखित आवास आवंटन नियमावली पर सहर्ष अनुमति प्रदान की है:–

01. लखनऊ में अभ्यर्थी का अपना तथा अपनी पत्नी/पति के नाम का आवास न हो/रेन्ट कन्ट्रोल द्वारा आवंटित भवन/लखनऊ विकास प्राधिकरण/उ0प्र0 आवास विकास परिषद द्वारा आवंटित भवन न हो, लखनऊ शहर में स्वयं का आवास न हो यदि आवास होता है तो उक्त अभ्यर्थी को आवंटित आवास खाली करना होगा।
02. विश्वविद्यालय आवास सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र देने की स्थिति में सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र देने की तिथि से 06 माह के अन्दर खाली कर कब्जा वापस देना होगा। तत्पश्चात रहने की अनुमति नही होगी। यदि 06 माह की अवधि के बाद आवास खाली नहीं करते है तो अभ्यर्थी को बाजार दर का तीन गुना प्रतिमाह अग्रिम भुगतान करना होगा और एक वर्ष के पश्चात आवास नियमानुसार खाली कराया जाएगा।
03. आवंटित भवन का कब्जा आवंटन के दो माह के अन्दर प्राप्त करना होगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। अग्रेत्तर भवन के रहने योग्य की सुनिश्चितता निर्माण विभाग द्वारा की जायेगी।
04. आवंटित भवन में विद्युत मीटर लगाया जाएगा एवम् विद्युत शुल्क नियमानुसार देय होगा।
05. भवन आवंटन प्रकिया में संविदा/गेस्ट फेकल्टी शिक्षक को नियमित शिक्षकों के समकक्ष आवास सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।
06. शिक्षकों को भवन का आवंटन प्राप्त आवेदन पत्रों में से शिक्षकों के वरिष्ठता के आधार पर भवन का आवंटन किया जाएगा।
07. नियमित/वेतनमान/नियत वेतन के आधार पर कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारण के अनुसार आवास आवंटित होंगे।
08. जिन कर्मचारियों को एच0आर0ए0 नहीं प्राप्त होता उनसे आवास आवंटन के पश्चात् मेन्टेनेन्स के रूप में वेतन से 07(सात) प्रतिशत की कटौती की जायेगी।
09. अपवाद/अपरिहार्य परिस्थितियों में भवन आवंटन हेतु मा0 कुलपति जी अधिकृत होंगे।

(डॉ0 विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

संख्या– GA/1027-40 दिनांक– 02/07/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01. निजी सचिव, कुलपति मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, ल0वि0वि0।
03. समस्त् संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक, इंचार्ज, ल0वि0वि0।
04. वित्त अधिकारी, ल0वि0वि0।
05. परीक्षा नियंत्रक, ल0वि0वि0।
06. कुलानुशासक, ल0वि0वि0।
07. निदेशक, विधिक प्रकोष्ठ, ल0वि0वि0।
08. कार्य अधीक्षक, निर्माण विभाग, ल0वि0वि0।
09. अध्यक्ष, महामंत्री, लूटा।
10. अध्यक्ष, महामंत्री, कर्मचारी परिषद, ल0वि0वि0।
11. समन्वयक/प्रो0 इंचार्ज अभियान्त्रीकी संकाय, ल0वि0वि0।
12. प्रोवोष्ठ लवण्य छात्रावास, द्वितीय परिसर, ल0वि0वि0।
13. समस्त् सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव, ल0वि0वि0।
14. उपकुलसचिव, मीटिंग अनुभाग को इस आशय से प्रेषित कि वह आगामी कार्य परिषद में मा0 कार्य परिषद के सदस्यों के समक्ष आवास आवंटन हेतु नियमावली प्रस्तुत करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
15. इंचार्ज वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित समस्त् को ई–मेल के माध्यम से प्रस्तुत करते हुई विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
16. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।

उपकुलसचिव (सा0प्रशा0)